आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

03/10/2019

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल दण्डाधिकारी, राजमहल।
क्रि0मि0 वाद सं0– 319/2019
प्रथम पक्ष– मुंशी मरांडी वगै0
बनाम
द्वितीय पक्ष– सोलमा सोरेन वगै0
दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन कार्यवाही
आदेश

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि जमीन से संबंधित विवाद को लेकर पक्षों के बीच सार्वजनिक शांति भंग की संभावना है। जिससे संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन कार्यवाही प्ररम्भ की गयी।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	ज0नं0	दाग नं0	रकवा	चौहद्दी			
				उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
छोटी भगियामारी	70	180	02–11–00 में से 02 कट्ठा	मारकार	सोलमा सोरेन	सड़क	नहर

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उक्त वर्णित जमीन का आवेदकगण के पूर्वजों के बीच बंटवारा हो चुका है तथा हिस्सेदारों को अलग–अलग प्लॉट में हिस्सा मिला था तथा मंतव्य कॉलम में हिस्सा पाने वाले पक्ष का नाम कैफियत कॉलम में हिस्सा पाने वालो का दखल का जिक्र है। उक्त विवादित जमीन का मात्र 02 कट्ठा जमीन पर विवाद है, जिसपर भद्दु सोरेन का दखल है। उक्त वर्णित जमीन के दाग नं0– 108 में आवेदक के पूर्वज का नाम दखल कॉलम में दर्ज है। आवेदकगण के पूर्वज छोटो भैरो सोरेन को तीन लड़का लखन सोरेन, भादो सोरेन एवं चुन्नु सोरेन हुए। चन्नू सोरेन की मृत्यू नावल्द हो गई तथा उक्त जमीन लखन सोरेन तथा भादों सोरेन के बीच बंटवारा हुआ तथा प्रत्येक दाग के मंतव्य कॉलम में दखल दिखाया गया है। भादों सोरेन को दो लड़की माईनो सोरेन तथा मयदी सोरेन हुयी। माईनो सोरेन की शादी घरजमाय बीरसिंग मरांडी से हुई तथा मयदी सोरेन की शादी हुई किन्तु मयदी सोरेन का पति शादी के बाद दूसरी आदिवासी लडकी को लेकर आसाम चला गया तथा वहां से नहीं आया तथा मयदी सोरेन को भी माईनो सोरेन के साथ रहना पडा। माईनो सोरेन को दो लड़का श्यामलाल मरांडी तथा मुंशी मरांडी हुआ। मुंशी मरांडी तथा श्यामलाल मरांडी इस वाद में आवेदक हैं। जहां तक लखन सोरेन का प्रश्न है उसे तीन संतान हुआ, जिसमें से चुन्नु सोरेन, तुरी सोरेन तथा जुगून सोरेन हुआ। चुन्नू सोरेन तथा जुगुन सोरेन की मृत्यू नावल्द हो गयी तथा तुरी सोरेन को एक लड़की सालेमा सोरेन हुई, जो इस वाद में विपक्षी हैं। उक्त वर्णित भूमि पर विपक्षी का कोई भी स्वामित्व, दखल तथा अधिकार नहीं है। द्वितीय पक्ष आवेदक को उकत वर्णित जमीन पर घर बनाने से मना करती है नही तो जान से मारने की धमकी देती है, जिससे सार्वजनिक शांति भंग की संभावना द्वितीय पक्षों से बनी हुई है। अतएव जारी निषेधाज्ञा प्रथम पक्ष के हित में रिक्त एवं द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सम्पुष्ट करने का प्रार्थना किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल कारण पृच्छा दाखिल कर मौजा छोटी भगियामारी के जमाबंदी नं0– 70, दाग नं0– 108 में लखन सोरेन पिता– चुन्नु सोरेन, तथा भादू सोरेन, पिता– छोटो भैरो सोरेन का नाम अंकित है। भादू सोरेन की

Scanned with CamScanner

दोनों बेटी की साधारण रीति रिवाज से शादी हुई थी, इसलिए उनके वारिसान धनबाद में अपने पिताके घर में रहकर अपने पिता की जमीन का जोत आबाद करते हैं तथा विपक्षी द्वितीय पक्ष सोलमा सोरेन की शादी घरमाय होने के कारण वह अपने पिता के घर ग्राम छोटी भगियामारी मे रह रही है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अनुसार साधारण शादी होने वाले पुत्री का पिता के जमीन में किसी भी प्रकार का अंश व हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार प्रथम पक्ष का वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार का स्वत्व व हक–हकूक नहीं है। पूर्व में भी कई मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें विपक्षी प्रथम पक्ष की माँ पक्षकार थी, परन्तु वो केस हार गयी थी तथा विपक्षी द्वितीय पक्ष सोलमा सोरेन के पास घर जमाई संबंधी सभी कागजात है और उक्त वादग्रस्त भूमि का रसीद भी है, जो द्वितीय पक्ष ही कटाते आ रहे हैं। अतएव जारी निषेधाज्ञा द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त करते हुए प्रथम पक्ष के विरुद्ध सम्पुष्ट करने की प्रार्थना किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया। मौजा छोटी भगियामारी के जमाबंदी नं0– 70, दाग नं0– 180, रकबा 02 बीघा 11 कट्ठा जमीन में दखल को लेकर विवाद उत्पन्न है, जिससे शांति भंग की संभावना बनी हुई है।

उर्युक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत यह स्पष्ट है कि कार्यवाही वाली जमीन विवादित प्रतीत होता है। जिसका निष्पादन दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन निष्पादित करना संभव नहीं है।

अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामला संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से संबंधित है।

अतएव वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
राजमहल

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner